1	2	3	4	5	6
3. यथोक्त	श्याम सुन्दर शर्मा, राची ।	—	—	30.36	30.36
4. यथोक्त	मै० आनन्द राजे, धनबाद ।	—	—	7.12	7.12
5. मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6. पश्चिम बंगाल	सांवरमल पोद्दार समूह, कलकत्ता	—	1.53	—	1.53
7. यथोक्त	केडिया समूह, दुर्गापुर ।	2.50	—	170.83	173.33

Setting up of Bank Loan Tribunals

147. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are setting up Tribunals to collect loans due to banks and financial institutions;

(b) whether Government are aware that technocrats are apprehensive that such tribunals will focus only on individuals; and

(c) whether public sector office bearers and managers of public limited companies are also proposed to be brought within the ambit of the jurisdiction of Debt Tribunals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) The Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Ordinance, 1993, which was promulgated on 24th June, 1993, provides for the establishment of Tribunals for expeditious adjudication and recovery of debts due to banks and financial institutions and for matters connected therewith or incidental thereto.

(b) and (c) Any person from whom a bank or a Financial Institution has to recover debt of not less than Rs. 10 lac will fall within the ambit of the jurisdiction of Debt Recovery Tribunals.

Contaning prices of Commodities

148. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that though the inflation rate is hovering around six per cent or so there is no let up in the prices of commodities which are rising alarmingly throughout the country;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what action Government propose to take to contain the rising prices of the commodities in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) No Sir, Prices of 12 essential commodities belonging to the food articles group are actually lower now compared to last year.

(b) Does not arise.

(c) In order to restrict rise in prices the Government took the following steps:

— Strict control on fiscal deficit.

— Liberalised trade policy and reduction in tariffs; specially in basic raw materials so as to reduce input costs.

— Improved supply management through augmentation of supplies under PDS and through import of essential commodities.

— Tight monetary policy to control inflationary expectations.

फिल्म कलाकारों की तरफ आयकर की बकाया राशि

149. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंबई के फिल्म उद्योग से संबंधित उन विभिन्न व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन पर 30–6–93 की स्थिति के अनुसार आयकर की राशि बकाया है;

(ख) इन व्यक्तियों ने कब से अपने आयकर की अदायगी नहीं की है ;

(ग) आयकर की वसूली के लिए सरकार ने क्या-क्या ठोस कदम उठाए हैं और उनके विरुद्ध की जा रही कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को फिल्म में काम करने के लिए प्रत्येक अभिनेता को भुगतान की जा रही धनराशि की जानकारी है और क्या यह सच है कि अधिकांश भुगतान काले धन के रूप में किया जाता है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में बंबई के फिल्म उद्योग संबंधित उन व्यक्तियों के बारे में नवीनतम सूचना दिनांक 31–3–1993 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध हैं, जिनकी तरफ आयकर की राशि बकाया है। इसके अनुसार, बंबई क्षेत्र के फिल्म उद्योग के 1 लाख रु० से अधिक की बकाया राशि रखने वाले व्यक्तियों के 144 मामलों की सूचना दी गई थी, जिनमें 1859.47 लाख रु० की कुल मांग अंतग्रस्त थी। इतने कम समय में बकाया मांग रखने वाले व्यक्तियों के नामों को तथा उसके ब्यौरों को दे पाना संभव नहीं है क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा तथा प्रयास करने होंगे, जो प्राप्तव्य उद्देश्य के अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) अनेक मामलों में ये मांगें अपीलों में विवादग्रस्त हैं और अपीली प्राधिकारियों से इन अपीलों को वरीयता के आधार पर निपटाए जाने का अनुरोध किया गया हैं। उचित मामलों में अदायगी किस्तों में किए जाने की अनुमति दी गई है। इनमें से कुछ मामलों में बैंक खातों/किराए/चित्र के अधिकारों की कुर्की कर ली गई है अथवा वसूली के बारे में कर वसूली अधिकारियों को सूचित कर दिया गया हैं, जिन्हें चूककर्ताओं की परिसंपत्ति को कुर्क करके बेचने की शक्ति प्राप्त है।

(घ) जब कभी भी फिल्मी कलाकारों द्वारा अघोषित प्राप्तियों का कोई मामला आयकर विभाग की जानकारी में आता हैं तो उनके संबंध में तलाशी, सर्वेक्षण के रूप में सूचना तथा जांच-पड़तालों के रूप में कार्यवाहियां की जाती हैं। काले धन की उत्पत्ति की रोकथाम करने के प्रयोजनार्थ आयकर अधिनियम की धारा 44–एए के अन्तर्गत सांविधिक उपबन्ध बनाए गए हैं, जिनके तहत कारोबार चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित किए गए खातों को बनाना तथा उनका रख-रखाव करना अपेक्षित होता हैं और इनकी जांच-पड़ताल/संवीक्षा कर-निर्धारण की कार्यवाहियों के दौरान की जाती हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फिल्मी कलाकारों, कैमरा मैनों, निर्देशकों आदि को धारा 44–एए के प्रयोजनार्थ अधिसूचित किया हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों के कर निर्धारणों के लिए विशिष्टीकृत फिल्म सर्किलों का सृजन किया गया हैं ताकि इस प्रकार के मामलों में कर अपवंचन का पता लगाने के कार्य को बेहतर ढंग से निष्पादित किया जा सके।